**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1373**
**गुरूवार, 14 दिसंबर, 2023/23 अग्रहायण, 1945 (शक)**

**महिला श्रम बल भागीदारी में अंतर**

1373. **श्री देरेक ओब्राईनः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में व्यापक अंतर है**;** और

(ख) यदि हां**,** तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की वर्तमान दरों का ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यापक अंतर के क्या कारण हैं**?**

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) से (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर निम्नानुसार है:

| **वर्ष** | **महिला श्रम बल भागीदारी दर (% में)** | |
|---|---|---|
| | **ग्रामीण** | **शहरी** |
| 2020-21 | 36.5 | 23.2 |
| 2021-22 | 36.6 | 23.8 |
| 2022-23 | 41.5 | 25.4 |

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़ें दर्शाते हैं कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार**,** भारत सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में, सुरक्षा के अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सैवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य अवस्थाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य  या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****